

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2630/VII-1/2018/18 स्टोन क्रेशर/18
देहरादून, दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप


मै० एल०एस०सी० इन्फ्राटेक लि० के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील लालकुंआ, ग्राम हाथीखाल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.027 है० में स्वीकृत स्टोन क्रेशर अनुज्ञा का स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर अनुज्ञा नीति, 2015 के प्रावधानानुसार जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या-899/30-जी०सी०/2016-17, दिनांक 18.10.2016 एवं अपर जिलाधिकारी, वि०/रा०, नैनीताल के संशोधित आदेश संख्या-58/30-जी०सी०/2016-17, दिनांक 4.1.2018 द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया गया। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 9 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1005/खनिज/स्टो०वि०नि०/ नैनी०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 19.03.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में संबंधित स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्टोन क्रेशर की क्षमता 400 टन प्रति घंटा निर्धारित कर उक्त नीति के अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा स्टोन क्रेशर के विनियमितीकरण हेतु अवशेष ₹ 50,000.00 (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने की शर्त के अधीन संबंधित स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


बृजेश कुमार संत
अपर सचिव

संख्या: 2630 (1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. मै० एल०एस०सी० इन्फ्राटेक लि०, ग्राम हाथीखाल, तहसील लालकुंआ, जनपद नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव